प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली–द्वितीय।** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष ~~2021~~ 2022
प्र.इ.रि.सं........11/22........ दिनांक........14/1/22........

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 7
(2) अधिनियम – धाराये ....–............
(3) अधिनियम ....–............ धारायें............–............
(4) अन्य अधिनियम व धाराये............–............

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....343........समय........5:00 P.M.........
(ब) अपराध के घटने का दिन – गुरूवार दिनांक–13.01.2022 समयः– 4.24 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –02.01.2021 समय.– 04.00 पीएम

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख उत्तर पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 260
(ब) पता :– एक्सईएन कार्यालय पीएचईड खण्ड मकराना जिला नागौर
............बीट सख्या............–............ जरायमदेही सं...–......
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–............जिला............–............

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री रेखा राम
(ब) पिता/पति का नाम :– मोहनराम
(स) जन्म तिथि....... 27 साल
(द) राष्टीयता,:– भारतीय
(द) पासपोर्ट सख्या............–............ जारी होने की तिथि ....–........
जारी होने की जगह ....–............
(र) व्यवसाय :– प्राईवेट ठेकेदार
(ल) पता.:– ग्राम जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1. श्री सीताराम यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव जाति अहीर उम्र 28 साल निवासी ग्राम डूंगरसी का बास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता,जन स्वास्थ्य एंव अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड मकराना जिला नागौर

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

सेवामें

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पाली।

विषय– रिश्वत मांगने वाले के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मै रेखाराम पुत्र श्री मोहनराम निवासी जूसरी जिला नागौर निवेदन करता हूं कि मेरी एक फर्म मैसर्स बेनीवाल कॉन्ट्रेक्ट कम्पनी जूसरी जिला नागोर के नाम से पंजीकृत है। मेरे साथ ही मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम भी अपनी फर्म मैसर्स लक्ष्मी ड्रीलिंग कम्पनी ग्राम देवरी तहसील मकराना के नाम से पंजीकृत है। हमारी दोनो फर्मो द्वारा पी.एच.ई.डी. मकराना के अधीन ठेके लेकर परित्यक्त/नकारा हेण्डपम्पो को मौके से हटाने, मकराना खण्ड ग्रामीण के अधीन विभागीय जल स्त्रोतो के पम्पसेट, केबल, जी.आई, असेम्बली, विभिन्न प्रकार की राईजिंग/वितरण पाईपलाईन के लीकेज/चैकिंग इत्यादि कार्य किये जाते है। हमारी दोनो फर्मो के नाम अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्किी विभाग खण्ड मकराना के द्वारा निविदा जारी होने पर वर्ष 2020–21 में पी.एच.ई.डी. मकराना (ग्रामीण व सिटी) के सर्किल में करीब 10.00 लाख रूपयो के कार्यो के बिल तैयार कर श्री सीताराम ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. मकराना से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु अग्रेषित करवाने बाबत् पेश करने पर श्री सीताराम यादव एईएन द्वारा बिल प्रमाणित कर अग्रेषित करने हेतु हमारी दोनो फर्मो से कमीशन के तौर पर 50,000–50,000 रूपये कुल 1.00 लाख रूपये की मांग की, तब हम दोनो द्वारा उक्त राशि बहुत बड़ी होने एवं उस समय उपलब्ध नहीं होने का निवेदन कर आईन्दा उक्त राशि शीघ्र देने हेतु उन्हे आश्वस्त करने पर श्री सीताराम यादव द्वारा हमारे उपरोक्त बिल प्रमाणित कर भुगतान की कार्यवाही हेतु एक्स.ई.एन. ऑफिस पी.एच.ई.डी. मकराना में प्रेषित किये। जिस पर हमारी फर्मो को भुगतान किया गया। तत्पश्चात् श्री सीताराम ए.ई.एन द्वारा हमारी फर्मो को भुगतान की गई राशि के कमीशन के तौर पर 1.00 लाख रूपये की बार–बार मांग की जाकर नये काम देने में रोड़ अटकाने लगा। आज से करीब 10–15 दिन पूर्व हम दोनो मेरे पेण्डिंग बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेषित करने एवं नये कार्य दिलाने बाबत् श्री सीताराम यादव एईएन से मै तथा मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम उनके कार्यालय में मिले तो उन्होने हमारे पूर्व के बिलो की कमीशन राशि 1.00 लाख रूपये की मांग की तथा उक्त रिश्वत राशि नहीं देने पर श्री सीताराम ए.ई.एन. द्वारा मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्यो के बकाया बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेषित नहीं किये जा रहे है एवं हमारी फर्मो को नये काम प्राप्त करने में भी रोड़े अटका रहा है। हम हमारे जायज काम की ऐवज में श्री सीताराम यादव ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. मकराना को रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये नहीं देकर उन्हे रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते है। अतः कानूनी कार्यवाही करावे। भवदीय –एसडी– रेखाराम पुत्र श्री मोहनराम जाट निवासी : जूसरी तहसील मकराना, जिला नागौर। मो.नं. 85040–52833 मैसर्स– बेनीवाल कोन्ट्रेट कम्पनी : जूसरी लिछमणराम पुत्र श्री भागुराम जाट, निवासी : देवरी तहसील मकराना, जिला नागौर। मो.नं. 98285–05768 मैसर्स–: लक्ष्मी ड्रीलिंग कम्पनी : देवरी

कार्यवाही पुलिस

दिनांक : 02.01.2022 समय : 09:54 ए.एम पर परिवादी श्री रेखाराम नें अपने मोबाईल नं. 85040–52833 से मन् महिपाल उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9414577001 पर कॉल कर बताया कि मै ग्राम जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर का रहने वाला हूं तथा मेरी एक फर्म मैसर्स बेनीवाल कॉन्ट्रेक्ट कम्पनी जूसरी व मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम की फर्म मैसर्स लक्ष्मी ड्रीलिंग कम्पनी ग्राम देवरी तहसील मकराना के नाम से पंजीकृत है। हमारी दोनो फर्मो द्वारा पी.एच.ई.डी. मकराना के अधीन ठेके लेकर वर्ष 2020–21 में परित्यक्त/नकारा हेण्डपम्पो को मौके से हटाने, मकराना खण्ड ग्रामीण के अधीन विभागीय जल स्त्रोतो के पम्पसेट, केबल, जी.आई, असेम्बली, विभिन्न प्रकार की राईजिंग/वितरण पाईपलाईन के लीकेज/चैकिंग इत्यादि कार्य किये गये। उक्त कार्यो के करीब 10.00 लाख रूपयो के बिल तैयार कर श्री सीताराम ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. मकराना से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु अग्रेषित करवाने बाबत् पेश करने पर श्री सीताराम यादव एईएन द्वारा बिल प्रमाणित कर अग्रेषित करने हेतु हमारी दोनो फर्मो से कमीशन के तौर पर 50,000–50,000 रूपये कुल 1.00 लाख रूपये की